



137

पुनरीक्षक क्र. : /2013

प्रस्तुति दिनांक : 10-04-2013

C-F 26-4-13

for 26/4/13

**समक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल,  
ग्वालियर बेंच, इन्दौर (म.प्र.) के समक्ष**

R-1556-PBA/13

निकलेश पिता स्व. श्री रतनलाल जी जैन  
उम्र : 42 वर्ष, धंधा : व्यापार एवं कृषि,  
निवासी : 16-बी, बख्तावरराम नगर,  
इन्दौर (म.प्र.)

— प्रार्थी

श्री. रतन जैन

विरुद्ध

अभिभाषक

पी.डी.अग्रवाल एण्ड कम्पनी  
तर्फे श्री प्रभुदयाल पिता श्री भुरेलालजी अग्रवाल  
ठिकाना : 6, जॉय बिल्डर्स कॉलोनी,

डा. राज

दिनांक 10.4.13 इन्दौर (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थी

को कैम्प इन्दौर

कैम्प पर उक्त

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता**

जाम

मान्यवर,

10-4-13

प्रकरण क्र. 89/अ-12/2012-13 में पारित आदेश  
दिनांक 08-02-2013 एवं सीमांकन कार्यवाही से  
परिवेदित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न व  
अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है कि :-

*(Signature)*

15.4.13

मिडल/प.डी.अ.क.क.

R1556-P/13 इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.11.2013	<p>अवेक की ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपाखित नहीं। तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी कोई उपाखित नहीं। अतः प्रमाण अदम पेंचकी में निरस्त किया जाता है।</p>	<p>अदम</p>

अदम

अदम